न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 200/2022 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
शांतिदेवी पत्नी अर्जुनराम जाति जाट, निवासी धीराणियों की ढाणी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल निवासी झांफलीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अगरदान पुत्र विजेदान 2. करनीदान पुत्र विजेदान 3. गोमदान पुत्र विजेदान 4. नखतु पत्नी विजेदान 5. वीरदान पुत्र अम्बादान 6. आवड़दान पुत्र दानदान 7. नखतकंवर पत्नी हेतुदान जाति चारण, निवासी झांफलीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. नोजीदेवी पत्नी सोनाराम जाति जाट, निवासी बलेदवनगर बाड़मेर हाल निवासी झांफलीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 10. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शिव 11. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीनी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 7 – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 02.08.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीनी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 122 रकबा 10.6108 हैक्टेयर मौजा झांफलीकला, तहसील शिव में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीनी मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीनी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 136, 137, 135, 138, 143 रकबा क्रमशः 10.4409, 15.1352, 18.6236, 9.4534, 7.2762 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थीनी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीनी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तावित उक्त रास्ता आगे ग्राम झांफलीकला से नागणासर जाने वाली डामर सड़क से जुड़ने हेतु चाहा गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीनी का निवेदन है कि प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीनी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीनी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया तथा शेष विप्रार्थी संख्या 8, 10 व 11 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थीनी की खातेदारी तक नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 143 रकबा 7.2762 हैक्टेयर में से 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 15.1352 हैक्टेयर में से 0.1133 + 0.0647 हैक्टेयर कुल रकबा 0.1780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 9.4534 हैक्टेयर में से 0.2266 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 18.6236 हैक्टेयर में से 0.0080 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 136 रकबा 10.4409 हैक्टेयर में से 0.0647 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एंव लघुतम है एवं प्रस्तावित रास्ता की चौडाई 04 गट्ठा है।

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी के आवागमन हेतु निकटतम रास्ता नहीं है तथा हम विप्रार्थीगण की भूमि पूर्व में ही रास्ते मे जा चुकी है। प्रार्थीनी द्वारा हम विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने तथा मनगढंत तथ्यों के आधार पर उक्त रास्ते की मांग की गई है, जो हमें स्वीकार नहीं है। प्रार्थीनी अपनी खातेदारी से सड़क तक जुड़ने हेतु अन्य खसरा नम्बर से भी मांग कर सकती थी, जबकि प्रार्थीनी द्वारा हमारी खातेदारी से रास्ता चाहा गया है, जो हमे अस्वीकार होने तथा अन्य खसरा नम्बर से नजदीक सड़क निकलने से प्रार्थीनी का आवेदन सव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 143, 137, 138, 135 व 136 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो कि खातेदारी खसरे है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 143 रकबा 7.2762 हैक्टेयर में से 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 15.1352 हैक्टेयर में से 0.1133 + 0.0647 हैक्टेयर कुल रकबा 0.1780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 9.4534 हैक्टेयर में से 0.2266 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 18.6236 हैक्टेयर में से 0.0080 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 136 रकबा 10.4409 हैक्टेयर में से 0.0647 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट में प्रार्थीनी की खातेदारी तक अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम विकल्प है तथा उक्त रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ता है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 04 गट्ठा है। प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ते को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीनी की खातेदारी तक पहुंचने हेतु अन्य निकटतम विकल्प होने का कथन करते हुए तथा उक्त आवेदन विप्रार्थीगण को मात्र परेशान करने की नियत से पेश करने का कथन करते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है, जबकि विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे सिद्ध हो सके कि प्रार्थीनी की खातेदारी में अन्य कोई निकटतम विकल्प मौजुद हो। तहसीलदार मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी के आवागमन हेतु निकटतम, लद्युतम एवं सुगम बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 122 रकबा 10.6108 हैक्टेयर मौजा झांफलीकला, पटवार मण्डल झांफलीकला तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 143 रकबा 7.2762 हैक्टेयर में से 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 15.1352 हैक्टेयर में से 0.1133 + 0.0647 हैक्टेयर कुल रकबा 0.1780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 9.4534 हैक्टेयर में से 0.2266 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 18.6236 हैक्टेयर में से 0.0080 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 136 रकबा 10.4409 हैक्टेयर में से 0.0647 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने के आदेश किये जाकर तहसीलदार शिव को अमलदरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 02.08.2023 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner